न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार ।

फौजदारी अपील संख्याः 140 / 2026

सी.आई.एस. संख्याः 155 / 2026

CNR. No. UKHA01-004398- 2026

पवन कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि

दिनांक 22.08.2026

आज यह फौजदारी अपील, अन्तर्गत धारा 415 बी0एन0एस0एस0, अपीलार्थी **पवन कुमार** की ओर से द्वारा विद्वान अधिवक्ता सुश्री अजरा कोमल, मय आख्या सदर मुंसरिम, अंगीकरण पर सुनवाई प्रस्तुत हुई।

2. प्रस्तुत फौजदारी अपील, अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, हरिद्वार द्वारा फौजदारी परिवाद संख्या 3494 / 2023, मौ0 उस्मान बनाम पवन कुमार, अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, थाना को0 ज्वालापुर, जिला हरिद्वार में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 27.07.2026, जिसके द्वारा अपीलार्थी / दोषसिद्ध पवन कुमार को अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये 06 माह के साधारण कारावास की सजा तथा मु0 2,20,000 / – रुपये (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अर्थदण्ड की धनराशि में से मु0 2,15,000 / – रुपये (दो लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) परिवादी को प्रतिकर के रुप में अदा करेगा तथा शेष जुर्माने की धनराशि मु0 5,000 / – रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) राजकोष में जमा होगी, के विरुद्ध योजित की गयी है।

3. सदर मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया। सुना। फौजदारी अपील श्रवण हेतु अंगीकृत की जाती है। दर्ज रजिस्टर हो। उत्तरदातागण को इस अपील का नोटिस जारी हो। अपीलार्थी नियमानुसार आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। विचारण न्यायालय का अभिलेख बहस हेतु नियत तिथि के लिये तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक **25.09.2026** को पेश हो।

(नरेन्द्र दत्त)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरिद्वार।

4. अपीलार्थी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र वास्ते दण्डादेश का क्रियान्वयन स्थगित करने हेतु प्रस्तुत कर विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि दौरान विचारण प्रार्थी / अपीलार्थी जमानत था, वर्तमान में अन्तरिम जमानत पर है,

प्रार्थी/अपीलार्थी को दौरान अपील सुनवाई जमानत पर रिहा किये जाने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत दण्डादेश का क्रियान्वयन दौरान अपील सुनवाई स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया। मामलें के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 30,000/—रूपये (तीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय एवं सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुरुप प्रस्तुत किये जाने पर दौरान सुनवाई अपील जमानत पर रिहा किया जाता है।

6. अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह राजकोष में जमा होने वाली जुर्माने की धनराशि मु0 5,000/— रूपये (पांच हजार रुपये मात्र) तीन दिन के भीतर विचारण न्यायालय में जमा कर उसकी रसीद अपील की पत्रावली में नियत तिथि पर प्रस्तुत करें तथा अपीलार्थी धारा 148 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर की धनराशि का (20%) बीस प्रतिशत धनराशि, (30) तीस दिन के भीतर विचारण न्यायालय में जमा कर, उसकी रसीद अपील की पत्रावली में नियत तिथि पर प्रस्तुत करें। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 27—07—2026 का क्रियान्वयन दौरान अपील सुनवाई स्थगित रहेगा। तदानुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते हैं।

आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया गया है अथवा नही? के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या से नियत दिनांक पर इस न्यायालय को अवगत करायें।

7. पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत दिनांक **25.09.2026** को पेश हो।

(नरेन्द्र दत्त)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरिद्वार।